

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:— ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एम-689/19/

दिनांक:—

आदेश

श्री महेश कुमार जाटव, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), राजकीय चिकित्सालय, शाहपुरा, जयपुर प्रथम का इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के कारण दिनांक 16.04.18 से 11.05.18 तक 26 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अतः वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक: 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:— ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एम-689/19/88

दिनांक:— 24-01-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, शाहपुरा, जयपुर-प्रथम।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ 4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।